फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती राधी — **विपक्षी : श्री माना**

किस्म मुकदमा –88,188 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 06/09**

जीसीएमएस : 2009/00201

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 20.06.2025

पत्रावली अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) का पेश कर वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) विड्रो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीया एवं स्वयं वादीया को प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) को पढकर अधिवक्ता वादीया मय वादीया को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादीया की पहचान अधिवक्ता वादीया द्वारा की गई।

चूंकि अधिवक्ता वादीया मय वादीया अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 05/09 प्रार्थना पत्र राधी बनाम माना में जारी स्थगन दिनांक 13.11.2009 को हटाया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:30:00 IST
Reason: SelfAttested